

स्कूल योजनाएँ

हर स्कूल को योजना बनानी पड़ती है कि वह किस

प्रकार से अंगहीन विद्यार्थियों की स्कूल कार्यों में

सहायता करेंगे और स्कूल में घूमना फिरना किस प्रकार

से आसान बनाएंगे। स्कूल को हम भी बताना पड़ता है

कि वह किस तरह से अंगहीन विद्यार्थियों को समझाने में

मदद करेंगे जो आमतौर पर लिखा हुआ आता है।

आप स्कूल को बता सकते हैं कि आप क्या सोचते हैं

कि योजना में क्या हमें चाहिए। और आप अपने समझने

की शकल में इसकी नकल मांग सकते हैं।

अधिक सलाह और जानकारी के लिए पीछे के पन्ने पर

देखें।

यह छोटी पुस्तक शिक्षा कानून

इकाई द्वारा लिखी गई है।

आप हमें इस पते पर सम्पर्क कर सकते हैं:

ऐजुवेशन ला युनिट

Education Law Unit,

Govan Law Centre,

47 Burleigh Street,

Glasgow G51 3LB

टैलीफोन/टैक्सट 0141 445 1955

फैक्स 0141 445 3934

ई-मेल: advice@edlaw.org.uk

वेब www.edlaw.org.uk

आप अधिक जानकारी के लिए पता कर सकते हैं:

डिसेंबिलिटी राइट्स कमिशन

08457 622 633

पता करें: 0131 222 2400

स्कॉटिश चाइल्ड ला सेंटर

0800 328 8970

18 से कम आयु के लिए मुफ्त फोन है:

अंगहीन

और स्कूल में

यदि आप अंगहीन हैं तो आप को अधिकार प्राप्त हैं। आपके स्कूल को आपके अधिकारों का आदर करना चाहिए और आपकी सहायता की कोशिश करनी चाहिए।

अंगहीन और स्कूल में

यह छोटी पुस्तक उन बच्चों और जवान लोगों के लिए है, जिन्हें स्कूल में अधिक आवश्यकता की जरूरत पड़ती है। यह बरेल, ओडियो, वीएसएल वीडियो और दूसरी भाषाओं में भी उपलब्ध है।

क्या मैं अंगहीन हूँ ?

अंगहीन में बहुत तरह के अलगअलग किस्म के लोग आते हैं। इसमें केवल पहियों वाली कुर्सी पर बैठे लोग ही शामिल नहीं होते। देखने और सुनने सम्बन्धी मुश्किलों वाले लोग भी शामिल हैं। बोलने या छूने या चीजों को समझने वाली मुश्किलों वाले लोग भी शामिल हैं। इसमें सभी तरह की मुसीबत का सामना कर रहे लोग हो सकते हैं। लगभग 7 में से 1 लोग को किसी न किसी प्रकार की अंगहीनता है।

मेरे स्कूल को क्या करना चाहिए ?

अगर आप अंगहीन हैं तो, आपकी अंगहीनता की वजह से स्कूल आप से दूसरे विद्यार्थियों की तुलना में बुरा व्यवहार नहीं कर सकता।

उदाहरण के तौर पर, आपकी अंगहीनता की वजह से

आप को कक्षाओं में भाग लेने से या स्कूल में घूमने या दूसरे कार्यों में भाग लेने से मना नहीं किया जाना चाहिए।

स्कूल को भी शायद अपने काम करने के ढंगों में

परिवर्तन करना पड़े, यदि इस से आप को स्कूल में सहायता मिल सकती है तो।

उदाहरण के लिए, आप को अपना स्कूल का काम

अथवा कक्षा परीक्षा के लिए अधिक समय लेने की

जरूरत पड़ सकती है। आप को स्कूल के सदस्यों के शांचालयों के इस्तेमाल की, या नीचे की मंजिल की कक्षाओं में पाठ लेने की जरूरत पड़ सकती है।

यदि ऐसा नहीं होता तो ?

यदि आपको लगता है कि आपके स्कूल ने आपके साथ बुरा व्यवहार किया है क्योंकि आप अंगहीन हैं, या स्कूल ने आपकी सहायता के लिए बदलाव नहीं किए, तो आप को निसल्टर के लिए कह सकते हैं। को निसल्टर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो आपकी और स्कूल की इस बात पर सहिमती में सहायता करता है कि आगे क्या होना चाहिए।

अधिक जानकारी के लिए डिस्बिलिटी राइट

कमीशन से सम्पर्क करें (अधिक जानकारी के लिए

पीछे के पन्ने पर देखें)।